पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 12198 /अका./का.प./2013 रायपुर, दिनांक : 1/10/2013

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 20.09.2013 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	–	सदस्य
3.	प्रो. व्यासनारायण दुबे	–	सदस्य
4.	प्रो. ए.के. गुप्ता	–	सदस्य
5.	प्रो. एस.के. शर्मा	–	सदस्य
6.	प्रो. बी.के. शर्मा	–	सदस्य
7.	प्रो. मिताश्री मित्रा	–	सदस्य
8.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
9.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
10.	डॉ. अरविंद गिरोलकर	–	सदस्य
11.	डॉ. एम.आई. मेमन	–	सदस्य
12.	डॉ. डी.एन. वर्मा	–	सदस्य
13.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
14.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
15.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
16.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
17.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
18.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
19.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यपरिषद् की ओर से कुलसचिव द्वारा नवनियुक्त सदस्य डॉ. ए.के. गुप्ता, डॉ. एस.के. शर्मा, विधानसभा सदस्य, श्री देवजी भाई पटेल, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा एवं श्री रामजी भारती का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया।

डॉ. (श्रीमती) रीता वेणु गोपाल, डॉ. व्यास नारायण दुबे एवं डॉ. रवि भोई का कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में अंतिम बैठक है, अतः कुलपति एवं सभी सदस्यों द्वारा कार्यपरिषद् में उनके द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों पर आवश्यक सुझाव एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया तत्पश्चात् कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2013 के कार्यवृत्त में निम्नलिखित बिंदु शामिल करते हुए सम्पुष्टि की गई।

निर्णय क्रमांक 2 के बिंदु क्रमांक 2 परफार्मेंस इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालयों के लिए ट्राफी निर्धारित किया जाए। यह ट्राफी 1 मई को प्रदान की जाए। इस संबंध में संमिति बनाकर कार्यवाही शीघ्र की जाए।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013, 13.08.2013 एवं 29.08.2013 के कार्यवृत्त पर कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2013 में लिये गए निर्णयानुसार की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013, 13.08.2013 एवं 29.08.2013 के कार्यवृत्त पर कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2013 में लिये गए निर्णयानुसार की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि –

(1) निरीक्षण प्रतिवेदन के लिए निर्धारित प्रोफार्मा, परिनियम 27 में उल्लेखित प्रावधान में अनिवार्य आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए संशोधित किया जाए।

(2) निरीक्षण समिति द्वारा परिनियम 27 में उल्लेखित अनिवार्य आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन करते हुए समीक्षा कर प्रत्येक बिंदुओं पर अभिमत दी जाए।

(3) अंत में निरीक्षण समिति द्वारा स्पष्ट अभिमत दी जाए।

04. सत्र 2013–14 के लिए छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय : सत्र 2013–14 के लिए छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन कुलपति को अधिकृत किया गया। निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत किया जाए –

(1) पं. सुंदरलाल शर्मा एवं गुरू घासीदास के जीवतवृत्त पर शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी निर्णय कब लिया गया है।

(2) पं. सुंदरलाल शर्मा एवं गुरू घासीदास के जीवतवृत्त पर कितने शोध कार्य हुए हैं तथा कितने शोध कार्य प्रमाणित हुए हैं।

05. प्रसूती अवकाश 135 दिन के स्थान पर 180 दिन किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय नियम एवं शासन द्वारा निर्धारित नियम/संशोधित नियम का परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाए।

06. डॉ. मानस कांति देब, प्रोफेसर, रसायन अध्ययनशाला को मुख्य अन्वेषक के रूप में प्राप्त DST Research Project SR/S1/IC-05/2012 dt. 25.04.2013 में आबंटित Capital Head के अंतर्गत FTIR Spectrometer with accessories, निर्माता फर्म M/s Thermo Fisher Scientific (India) Pvt. Ltd., Kolkata से क्रय करने पर विचार करना।

निर्णय : **डॉ. मानस कांति देब, प्रोफेसर, रसायन अध्ययनशाला को प्राप्त DST Research Project SR/S1/IC-05/2012 dt. 25.04.2013 में आबंटित Capital Head के अंतर्गत FTIR Spectrometer with accessories, निर्माता फर्म M/s Thermo Fisher Scientific (India) Pvt. Ltd., Kolkata से क्रय करने हेतु कुल राशि रू. 1825380=00 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

---

07. Vital Sense & Monitor क्रय किये जाने हेतु रू. 10.00 लाख की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **बायोसाइंस अध्ययनशाला को प्राप्त DST - FIST Grant के अंतर्गत Vital Sense & Monitor प्रस्तावित अधिकृत फर्म M/S G.V. Biomedicals, Delhi से क्रय किये जाने हेतु रू. 10.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।**

08. वार्षिक परीक्षा 2013 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य का देयक राशि रू. 15,72,165=00 मे. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर द्वारा रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्योपरान्त प्रस्तुत देयक राशि रू. 15,72,165=00 भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

09. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

10. भिलाई कालेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई, जिला–दुर्ग के विभागाध्यक्ष, शिक्षा के पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **भिलाई कालेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई, जिला–दुर्ग के विभागाध्यक्ष, शिक्षा के पद पर चयन समिति की अनुशंसा अनुसार, चयनित अभ्यर्थी डॉ. दीपक शुक्ला के नाम का अनुमोदन किया गया।**

11. निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

1. बी.एम. कालेज, कोलिहापुरी, दुर्ग, जिला–दुर्ग
2. सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा (राजिम), जिला–रायपुर

निर्णय : (i) बी.एम. कालेज, कोलिहापुरी, दुर्ग, जिला–दुर्ग के प्राचार्य पद के लिए गठित चयन समिति के अनुशंसा अनुसार डॉ. त्रिलोचन ब्योरा के नाम का अनुमोदन किया गया।

(ii) सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा (राजिम), जिला–रायपुर प्राचार्य के पद के लिये गठित चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. शोभा गुप्ता गावरी के नाम का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.09.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.09.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

02. विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2013 से 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत राहत पेंशन छ.ग. राज्य शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के, 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अनुरूप दिनांक 01.01.2013 से 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत राहत पेंशन प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।

03. विश्वविद्यालय में कार्यरत् तृतीय वर्ग कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का वित्त निर्देश 54/2013 एवं पत्र क्रमांक 361/एफ–2013–17–00004/वि/नि/चार/2013 दिनांक 26 अगस्त, 2013 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत् अधिकारियों एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों (शिक्षकों को छोड़कर) की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष किये जाने के संबंध में परिनियम 31 में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वित्त विभाग के निर्देशानुसार, उच्च शिक्षा विभाग से आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भेजी जाए।

04. गोपनीय विभाग के लिये बोलेरो वाहन क्रय करने पर विचार करना।

निर्णय : **गोपनीय विभाग के लिये 2 बोलेरो वाहन DGS&D दर पर क्रय किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

05. सत्र 2013–14 के लिए परीक्षा शुल्क विवरण के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **सत्र 2013–14 के लिए प्रस्तुत प्रस्तावित परीक्षा शुल्क का अनुमोदन किया गया।**

06. जी.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **जी.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई के प्राचार्य पद के लिए गठित चयन समिति के अनुशंसा अनुसार डॉ. (श्रीमती) कनक सिन्हा के नाम का अनुमोदन किया गया।**

07. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, नगर सेवा विभाग के पत्र क्र./न.से./भूमि/एलजी–333/2013/433 भिलाई, दिनांक 12.08.2013 पर विचार करना।

निर्णय : **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, नगर सेवा विभाग के पत्र क्र./न.से./भूमि/एलजी–333/2013/433 भिलाई, दिनांक 12.08.2013 पर विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसे समस्त महाविद्यालयों को जिन्हें लीज़ वृद्धि के लिए अनुमति नहीं मिला है उसे नोटिस जारी किया जाए कि उनके द्वारा लीज़ वृद्धि के संबंध में विश्वविद्यालय को जानकारी क्यों एवं किस कारण नहीं दिया ? क्यों न आगामी लीज़ वृद्धि नहीं होने के कारण उनके महाविद्यालय के संबंध में परिनियम 27 में उल्लेखित नियमों के तहत कार्यवाही किया जाए।**

08. लाइब्रेरी कमेटी की बैठक दिनांक 06.09.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 06.09.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन का किया गया।**

09. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.09.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.09.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

10. छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कोरी उत्तर पुस्तिका सत्र 2013–14 के लिए मुद्रण कराने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कोरी उत्तर पुस्तिका सत्र 2013–14 के लिए मुद्रण कराने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

1. छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पृष्ठांकन क्र. 4039/एफ 9–5/2012/38–2 दिनांक 06.09.2013 के द्वारा श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री के प्रतिनियुक्ति सेवाएं सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर से वापस लेते हुए इस विश्वविद्यालय में पदस्थ किया गया है, के परिपालन में श्री बी.पी. भंवर सहायक यंत्री ने इस विश्वविद्यालय में दिनांक 16.09.2013 को पूर्वान्ह में पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री भंवर के प्रकरण पर कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.09.2011 में लिये गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिनांक 15.09.2011 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कार्यवाही किया जावे।
2. पं. रविशंकर शुक्ल जयंती एवं पं. सुन्दरलाल शर्मा जयंती पर विश्वविद्यालय में अवकाश के स्थान पर कार्यालय में कार्य जारी रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाए।
3. विश्वविद्यालय में रसायन अध्ययनशाला के द्वारा एम.एस.सी. पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम संचालित की जा रही है। अतः इसे अलग से विभाग/अध्ययनशाला बनाने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया कर, व्यवस्था पूरी करने का अनुमोदन किया गया। शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों के निर्माण हेतु यू.जी.सी. 12वीं पंचवर्षीय योजना में समुचित प्रावधान करने के साथ–साथ प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग को भेजी जाए।
4. प्रौढ़ शिक्षा हेतु पूर्व स्वीकृत पदों को अध्यापक शिक्षा संस्थान हेतु पुनर्जीवित करने की अनुरोध शासन से किया जाए।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

(डॉ.एस.के पाण्डेय)
अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)
सचिव

पृ. क्रमांक : 12199 /अका./का.प./**2013** रायपुर, दिनांक : 1 /**10/2013**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)